

# राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सैक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : [seiaacg@gmail.com](mailto:seiaacg@gmail.com)

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 03/06/2020 को संपन्न 328वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

— 00 —

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020 को श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.अल्प्यु.बाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
7. श्री भोसकर विलास संदिपान, सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

श्री धीरेन्द्र शर्मा द्वारा विडियो कन्फेरेंसिंग के माध्यम से बैठक की अध्यक्षता की गई। समिति द्वारा एजेन्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1: 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020 बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 327वीं बैठक दिनांक 02/06/2020 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों, कन्सट्रक्शन परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी (श्री देवलाल साहू), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1230)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147390/2020, दिनांक 05/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से आपन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह एक प्रस्तावित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 255/2(पार्ट), 258/2(पार्ट), 253/1(पार्ट) एवं 253/2(पार्ट) कुल क्षेत्रफल-0.485 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-5,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, नरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री अटल कुमार गोदवानी (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1232)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147503/2020, दिनांक 05/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित बूना पत्थर (मौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल-1.315 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेरार्स श्री महेश कुमार लोहानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1219)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 146648/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 167/5, कुल क्षेत्रफल-0.647 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-18,787.5 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में तारी गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स श्रीमती अर्चना दास (डुमरडीहकला लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1247)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147920/2020, दिनांक 09/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित कृना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डुमरडीहकला, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खरारा

क्रमांक 108, कुल क्षेत्रफल 2.023 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-30.030 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नरती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दुष्यंत दास, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र - उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत डुमरडीहकला का दिनांक 27/11/2000 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना - क्वारी प्लान अलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान विथ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क्र./ख.लि./तीन-6/2016/346 रायपुर, दिनांक 10/02/2016 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2803/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 9 खदानें, क्षेत्रफल 7.746 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2803/ख.लि. 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर

अवस्थित 9 खदानों, क्षेत्रफल 7.746 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विवाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विवाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।

4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ - कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक/2803/ख.लि 03/2019 राजनांदगांव, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण - यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्रीमती अर्चना दास के नाम पर है, लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 05/01/2001 से 04/01/2006 तक की अवधि हेतु थी। प्रथम नवीनीकरण दिनांक 05/01/2006 से 04/01/2011 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 05/01/2011 से 04/01/2031 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र - कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./न.क. 10-1/2020/1639 राजनांदगांव, दिनांक 13/02/2020 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 7 कि.मी. की दूरी पर है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी - निकटतम आवादी ग्राम-डुमरडीहकला 2.5 कि. मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम-डुमरडीहकला 2.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 कि.मी. है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण - जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 7,08,050 टन, माईनेबल रिजर्व 2,88,970 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 2,60,073 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का

क्षेत्रफल 0.376 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट रोमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 10.721 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

#### वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	3,193	3	9,579	23,947
द्वितीय वर्ष	3,402	3	10,206	25,515
तृतीय वर्ष प्रथम बेंच	3,676	3	11,028	27,570
चतुर्थ वर्ष	3,862	3	11,586	28,965
पंचम वर्ष	4,004	3	12,012	30,030

#### आगामी वर्षों का उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
छठवे वर्ष प्रथम बेंच	1,107	3	3,321	8,302
छठवे वर्ष द्वितीय बेंच	2,897	3	8,691	21,727
सातवे वर्ष	4,004	3	12,012	30,030
आठवे वर्ष प्रथम बेंच	1,000	3	3,000	7,500
आठवे वर्ष द्वितीय बेंच	3,001	3	9,003	22,507
नौवे वर्ष प्रथम बेंच	3,602	3	10,806	27,015
नौवे वर्ष द्वितीय बेंच	598	2	1,196	2,990
दसवे वर्ष	4,791	2	9,582	23,955

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

- जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरेवेल के माध्यम से की जाती है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। यही व्यवस्था प्रस्तावित कार्यकलाप उपरांत अपनाई जाएगी। आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।
- वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 210 नव वृक्षारोपण किया जाएगा।
- प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के कुछ भागों में उत्खनन किया जा चुका है।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-



- i. पूर्व में चूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 108 कुल क्षेत्रफल - 2.023 हेक्टेयर, क्षमता - 30,030 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा दिनांक 06/09/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 31/03/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला राजनांदगांव के जापन क्रमांक/328/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2001	निरंक	2009	500
2002	200	2010	300
2003	100	2011	3,600
2004	100	2012-16	निरंक
2005	156	2017	36,500
2006	240	2018	7,000
2007	2,742	2019	1,900
2008	876		

- v. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला राजनांदगांव के जापन क्रमांक/328/ख.लि.03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 04/02/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी में वर्ष 2017 में 36,500 टन उत्खनन बताया गया है। जबकि पर्यावरणीय स्वीकृति क्षमता 30,030 टन प्रतिवर्ष के लिए जारी की गई थी। उक्त जानकारी से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में वास्तव में उत्खनन की मात्रा कितनी है?
15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्षों उपरान्त निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
70	2%	1.40	Following activities at Govt. Primary School Village-Dumardihkalan Rain Water Harvesting System	2.0

	Potable Drinking Water	0.25
	Running Water Arrangement	0.10
	Plantation	0.10
	<b>Total</b>	<b>2.45</b>

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. माईनिंग विभाग से क्लस्टर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
  2. वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
  3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की बाहरी परिधि (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में किये गये अनियमित उत्खनन क्षेत्र की गणना (क्षेत्रफल एवं गहराई सहित), उत्खनित क्षेत्र के मराव हेतु प्रस्ताव का विवरण तथा कार्य पूर्ण किये जाने का समय के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
  4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
  5. जल की आपूर्ति बोम्बे से किया जाना बताया गया है। सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी द्वारा जारी माईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल रोमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
  6. स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।
- परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स श्रीमती लीलावती हसवानी (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1233)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147692/2020, दिनांक 06/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (मौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसारा क्रमांक 165/2 एवं 165/3, कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 13,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स श्रीमती मीना रंगलानी (कलकसा लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1083बी)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44498/2017, दिनांक 28/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खरारा क्रमांक

235/3 एवं 242, कुल क्षेत्रफल-1,498 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-28,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की स्पष्ट/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी

एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री दौलत सिंह चंदेल (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1236)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147784/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 13/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल-1.215 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही नृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपेन्द्र कुमार यदु, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नवागांव का दिनांक 01/02/2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान अलांग विथ इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है। जो उप संचालक (खनि.प्रशा.), जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक क/ख.लि./तीन/2017/3472 रायपुर दिनांक 28/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानों, क्षेत्रफल 3.176 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 4 खदानों, क्षेत्रफल 3.176 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लरटर अनुसार "कोई क्लरटर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लरटर हेतु होमोजिनियस गिनरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लरटर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हों) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
5. लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज श्री दौलत सिंह वंदेल के नाम पर थी। लीज डीड 05 वर्षों अर्थात् दिनांक 04/01/1999 से 03/01/2004 तक की अवधि हेतु थी। लीज डीड का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 04/01/2004 से 03/01/2009 तक एवं लीज डीड का द्वितीय नवीनीकरण दिनांक 04/01/2009 से 03/01/2014 तक की अवधि हेतु किया गया था। तत्पश्चात् लीज डीड में 15 वर्ष अर्थात् दिनांक 04/01/2014 से 03/01/2029 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है। वर्तमान में लीज का हस्तांतरण मेसर्स क्वालिटी कन्सल्टेशन (प्रो. - श्री जी.डी. जरावानी) के नाम पर दिनांक 04/01/2020 को किया गया है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10-1/2020/1316 राजनांदगांव, दिनांक 05/02/2020 से जारी अनापत्ति

प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.795 कि.मी. की दूरी पर है।

8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी स्कूल ग्राम-मुढीपार 0.21 कि.मी., स्कूल ग्राम-मुढीपार 0.46 कि.मी., अस्पताल ग्राम-मुढीपार 0.47 कि.मी., रेलहेड ग्राम-मुढीपार 0.78 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 5.38 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 8.14 कि.मी. एवं मौसमी नाला 0.13 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,43,000 टन, गार्डेनेबल रिजर्व 1,64,100 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,47,690 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.343 हेक्टेयर है। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 5,060 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिस्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

#### वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन योजना

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	167	3	5,000	10,000
द्वितीय	167	3	5,000	10,000
तृतीय	167	3	5,000	10,000
चतुर्थ	167	3	5,000	10,000
पंचम	167	3	5,000	10,000

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। खदान में विभिन्न क्रियाकलापों (जल छिड़काव, वृक्षारोपण) हेतु जल की आपूर्ति बंद खदान के गढ़बे एवं पेयजल हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सहमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में वारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 1,000 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. वर्तमान में लीज का हस्तांतरण मेसर्स क्वालिटी कन्सट्रक्शन (प्रो. श्री जी.डी. जसवानी) के नाम पर दिनांक 04/01/2020 को किया गया है। उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा समिति के समक्ष आवेदन पर आगामी कार्यवाही मेसर्स क्वालिटी कन्सट्रक्शन (प्रो. श्री जी.डी. जसवानी) के नाम पर किये जाने का अनुरोध किया गया है। समिति द्वारा यह नोट किया गया कि आवेदन श्री दीपत सिंग बंदेल द्वारा किया गया है। अतः आवेदन को मेसर्स क्वालिटी कन्सट्रक्शन (प्रो. -

श्री जी.डी. जसवानी) के नाम पर किये जाने के लिए उनका सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

14. प्रतिबंधित क्षेत्र में उत्खनन – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) के 1,300 वर्गमीटर में उत्खनन किया जा चुका है।
15. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।
16. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत नहीं की गई है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. आवेदन को मेसर्स क्वालिटी कन्सल्टेशन (प्रो- श्री जी.डी. जसवानी) के नाम पर किये जाने के लिए आवेदक (श्री दौलत सिंह वंदेल) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. माईनिंग विभाग से बलरुदर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।
3. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की बाहरी परिधि (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) में किये गये अनियमित उत्खनन क्षेत्र की गणना (क्षेत्रफल एवं गहराई सहित), उत्खनित क्षेत्र के मराव हेतु प्रस्ताव का विवरण तथा कार्य पूर्ण किये जाने का समय के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने संबंधी जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
5. पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
6. खदान पूर्व से संवाहित है। अतः विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
7. माईनिंग प्लान का इस्तातरण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
8. लीज डीड अवधि वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
9. जल की आपूर्ति समीप के बंद खदानों से किये जाने के लिए उनका सहमति प्रस्तुत की जाए।
10. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
11. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।



12. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने उपरान्त आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स श्री दौलत सिंह चंदेल (नवागांव लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1212 )

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 146172/2020, दिनांक 28/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/03/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित बूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-नवागांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित प्लॉट ऑफ खसरा क्रमांक 260/1, कुल क्षेत्रफल-0.972 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 4.500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सार्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोपेन्द्र कुमार यदु, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में लीज का हस्तांतरण मेसर्स क्वालिटी कन्सल्टेशन (प्रो. - श्री जी.डी. जसवानी) के नाम पर दिनांक 04/01/2020 को किया गया है।
2. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र के लगभग पूर्णतः उत्खनित है। जिसका उल्लेख माईनिंग प्लान में की गई रिजर्व गणना में नहीं किया गया है। तदनुसार माईनिंग प्लान में संशोधन कराते हुये हस्तांतरण कराया जाना प्रस्तावित है।
3. उक्त के परिपेक्ष्य में आवेदन को वापस लिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा अनुरोध को मान्य किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुये आवेदित प्रकरण को डि-लिस्ट/निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री मुकेश कुमार अग्रवाल (देवीपुर आर्डिनरी स्टोन क्वारी माईनिंग), ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1273)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 150455/2020, दिनांक 24/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-देवीपुर, तहसील व जिला-सूरजपुर स्थित खसरा क्रमांक 1589, कुल क्षेत्रफल - 0.328 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 3,685 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वार्षिक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज जगत, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत देवीपुर का दिनांक 08/01/2010 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना — क्वारी प्लान एलांग विथ क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 76/खनिज/2016 सूरजपुर, दिनांक 10/01/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3361/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3361/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/02/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 0.405 हेक्टेयर होना बताया गया है। जिसमें केवल विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के परिधि में अवस्थित खदानों का विवरण दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र से यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त खदानों के 500 मीटर के भीतर अन्य खदान है अथवा नहीं? ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) में परिभाषित क्लस्टर अनुसार "कोई क्लस्टर उस समय बनाया जाएगा, जब एक लीज के परिसरों के बीच दूरी उस सदृश खनिज क्षेत्र में अन्य पट्टे के परिसर से 500 मीटर से कम है।" अर्थात् क्लस्टर हेतु होमोजिनियस मिनेरल क्षेत्र में विचाराधीन खदान के लीज सीमा से 500 मीटर के भीतर आने वाले सभी खदानों को शामिल करते हुए तथा इस प्रकार शामिल खदानों के लीज सीमा के 500 मीटर के भीतर आने वाले अन्य सभी खदानों को (क्लस्टर में खदानों को वहाँ तक शामिल किया जाए, जहाँ तक 500 मीटर की दूरी में कोई खदान अवस्थित न हो) शामिल किया जाना चाहिए। अतः उपरोक्तानुसार प्रमाण पत्र मंगाया जाना आवश्यक है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 3361/खनिज/2020 सूरजपुर, दिनांक 04/02/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बाघ, एनीकट, रेल लाईन एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।



लीज का विवरण — भूमि एवं लीज श्री मुकेश कुमार अग्रवाल के नाम पर है, लीज डीड 10 वर्षों अर्थात् दिनांक 30/12/2012 से 29/12/2022 तक की

अवधि हेतु थी। तत्पश्चात् लीज डीड दिनांक 30/12/2022 से 29/12/2032 तक की अवधि हेतु वृद्धि की गई है।

6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दक्षिण सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक 2279/मा.वि./2002 अम्बिकापुर, दिनांक 29/08/2002 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम-देवीपुर 0.57 कि.मी., स्कूल ग्राम-देवीपुर 2 कि.मी. एवं अस्पताल सूरजपुर 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 18.7 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र वा घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जिबोलॉजिकल रिजर्व लगभग 53,146 टन, माईनेबल रिजर्व 13,085 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 7,471 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.204 हेक्टेयर है। ओपन कार्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 9 मीटर (3 मीटर सतह से ऊपर एवं 6 मीटर सतह से नीचे) है। वर्तमान में कुछ क्षेत्र में ग्राउण्ड लेवल तक उत्खनन किया गया है। प्लान अवधि से पूर्व से उत्खनित क्षेत्र लगभग 1996 वर्गमीटर एवं योजना अवधि में विगत 3 वर्षों में उत्खनित क्षेत्र लगभग 910 वर्गमीटर है। इस प्रकार कुल उत्खनित क्षेत्र लगभग 2906 वर्गमीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,283 घनमीटर है। लगभग 1,215 वर्गमीटर क्षेत्र में क्रशर इकाई क्षमता 50 टन प्रतिघंटा स्थापित है। बेंव की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की स्थापित आयु 4 वर्ष है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं ब्लारिस्टिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्खनन (टन)
2020	3,686
2021	2,683
2022	714
2023	729

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.44 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है। इस बावजूत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 408 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 200 नग वृक्षारोपण किया गया है। इस

प्रकार कुल 608 नग पौधे का रोपण किया जाएगा। शेष वृक्षारोपण मानसून में किया जाएगा।

13. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- पूर्व में साधारण पत्थर खदान खसरा क्रमांक 1589, कुल क्षेत्रफल - 0.328 हेक्टेयर, क्षमता - 3,685 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-सूरजपुर द्वारा दिनांक 17/02/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 16/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
- निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण किया गया है।
- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-सूरजपुर के आपन दिनांक 15/05/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (टन)
जनवरी 2003 से दिसम्बर 2003	2,328
जनवरी 2004 से दिसम्बर 2004	935
जनवरी 2005 से दिसम्बर 2005	429
जनवरी 2006 से दिसम्बर 2006	416
जनवरी 2007 से दिसम्बर 2007	784
जनवरी 2008 से दिसम्बर 2008	1,120
जनवरी 2009 से दिसम्बर 2009	8,40
जनवरी 2010 से दिसम्बर 2010	656
जनवरी 2011 से दिसम्बर 2011	1,296
जनवरी 2012 से दिसम्बर 2012	2,016
जनवरी 2013 से दिसम्बर 2013	6,148
जनवरी 2014 से दिसम्बर 2014	3,568
जनवरी 2015 से दिसम्बर 2016	2,880
जनवरी 2016 से दिसम्बर 2016	1,295
जनवरी 2017 से दिसम्बर 2017	1,125
जनवरी 2018 से दिसम्बर 2018	832
जनवरी 2019 से दिसम्बर 2019	1,752

14. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरान्त निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

			Rupees)
			Following activities at Govt. Middle School Village-Devipur
			Rain Water Harvesting System
			0.83
			Running Water Arrangement
			0.10
			Plantation
			0.10
			Books Distribution related to Environment Conservation
			0.05
			<b>Total</b>
			<b>1.08</b>

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को माईनिंग विभाग से क्लरटर क्षेत्र में 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी पूर्व में दिये हुये विवरण अनुसार प्रस्तुत किये जाने के लिए निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स श्रीमती पार्वती बाई अग्रवाल (हरदी डोलोमाईट माईन, ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर), बिल्हा, जिला-बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1275)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 52757 / 2020, दिनांक 27 / 03 / 2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार के तहत प्रस्तावित डोलोमाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-हरदी, तहसील-बिल्हा, जिला-बिलासपुर स्थित खसरा क्रमांक 41, कुल क्षेत्रफल-6.055 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 91,584 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18 / 05 / 2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों संबंधी जानकारी की रफ्त/पठनीय प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि कोविड 19 के लॉकडाउन एवं अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाली गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

- 11. मेसर्स अभिषेक चकधारी क्ले माईन (प्रो.- श्री शिवलाल चकधारी), ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1278)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 150646/2020, दिनांक 30/03/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवाहित मिट्टी (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468/2, 470, 471, 472, 473, 474, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484, 485, 486, 490, 491, 492, 493, 494, 495/1, 495/2, 496, 498, 499 एवं 525, कुल क्षेत्रफल- 4.682 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठकों का विवरण -**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. ग्राम पंचायत द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र (कार्यवाही बैठक सहित) की स्पष्ट/ पठनीय प्रति प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

12. मेसर्स कंचन बेन चौहान (बाकल सोईल/ऑडिनरी क्ले क्वारी), ग्राम-बाकल, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 999)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 44545/2019, दिनांक 05/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 30/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/04/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बाकल, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 287, कुल क्षेत्रफल-1.943 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता-1,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -



(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 02/06/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि वांछित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह की आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स एन.एम.डी.सी. लिमिटेड (छ.ग. हाउसिंग बोर्ड डिविजन, जगदलपुर), ग्राम-नियानार, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1285)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एनसीपी/ 52861/2020, दिनांक 16/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-नियानार, तहसील-जगदलपुर, जिला-बस्तर में प्रस्तावित कन्स्ट्रक्शन बिल्डिंग प्रोजेक्ट का कुल प्लॉट क्षेत्रफल - 4,78,600.08 वर्गमीटर (118 एकड़) एवं ग्लेटअप क्षेत्रफल - 3,91,306.06 वर्गमीटर के

पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 1,995 करोड़ होगा।

**बैठकों का विवरण –**

**(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले-आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

**(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।



समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्ण में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

15. गेसर्स कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, ग्राम-डोडगांव, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1287)  
ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए /सीजी /आरआई/ 52894 / 2020, दिनांक 17/04/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रिक्टर पेली परियोजना है। परियोजना ग्राम डोडगांव, तहसील-सीतापुर, जिला-सरगुजा स्थित कुल रिजर्वायर - 512 हेक्टेयर, कुल कल्चरेबल कमाण्ड एरिया (Culturable Command Area) - 22,500 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. प्रस्तावित क्रियाकलाप से जलप्रवाह में किसी प्रकार की आपदा की घटना (जिसमें उस जल क्षेत्र की टोपोग्राफी या उस क्षेत्र की भूमि शामिल हो) जैसे: मृदा अपरदन आदि के उचित रोकथाम की व्यवस्था तथा क्षेत्र के जीव एवं वनस्पतियों पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए अपनाये जाने वाले उचित उपायों संबंधी हेतु जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रभावित स्थान की विशिष्ट स्थलाकृति पर पड़ने वाले/आने वाले परिवर्तन एवं उसके रोकथाम के उपायों संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. उक्त क्षेत्र में मृदा की जल ग्रहण क्षमता में होने वाले परिवर्तन के बारे में एवं इसके प्रभाव को कम करने संबंधित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. प्रस्तावित परियोजना में यदि किसी ऐतिहासिक, सांस्कृतिक धरोहर में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित हो तो उस संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. प्रस्तावित परियोजना में उपयोग होने वाले भूमि (वन, राजस्व, निजी स्वामित्व, बंजर आदि) संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के आपन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में वाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

16. मेसर्स आल इंडिया इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (द्वारा कार्यपालन अगियंता), ग्राम-कोटा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1289)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 152293/2020. दिनांक 29/04/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-कोटा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 19/1 एवं 138/1, प्लॉट क्षेत्रफल - 1,46,845 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय कॉम्प्लेक्स (बिल्टअप क्षेत्रफल - 17,540.11 वर्गमीटर) के विस्तार के तहत अतिरिक्त भवन निर्माण (30,195.57 वर्गमीटर) कर नये आवासीय कॉम्प्लेक्स कुल बिल्टअप क्षेत्रफल - 47,736.5 वर्गमीटर की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा एवं अनुमोदित ले आउट प्लान की प्रति प्रस्तुत की जाये।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाये।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सार्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाये।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाये।

7. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाये।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनोज रस्तोगी, कार्यपालन अभियंता उपस्थित हुए। समिति द्वारा नरती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी -

- निकटतम आबादी सिलतरा 12 कि.मी., स्कूल ग्राम-गोहमट्टा 0.51 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन सरस्वती नगर 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 17.24 कि.मी. दूर है। खारून नदी 4.9 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, अमयारण्य राष्ट्रीय उद्यान, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

2. भूमि स्वामित्व - भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की गई है।

3. एरिया स्टेटमेंट -

S. No.	Particulars	Area (Sq. Meter)
1.	Total Plot Area	1,46,845.00
2.	Permissible Ground Coverage (@30% of Total Plot area)	44,053.50
3	Total Proposed Ground Coverage (@ 6.405% of Total plot area)	9,405.45
3 (a)	Existing Ground Coverage In Blocks (Phase -I)	3,675.43
3 (b)	Proposed Ground Coverage In Blocks (Phase-II)	5,730.02
4.	Permissible FAR @1.25	1,83,556.25
5.	<b>Total FAR @0.3 (Phase - I + Phase -II)</b>	<b>44,394.04</b>
5 (a)	Existing FAR in Blocks (Phase - I)	<b>17,540.11</b>
5 (b)	Proposed FAR in Blocks (Phase - II)	<b>26,853.93</b>

	Type-II Building (1block)	3,212.64
	Type-III Building(2blocks)	4,681.04
	Type-IV Building (2blocks)	7,395.90
	Type-VI Building (2blocks)	4,966.48
	UG Hostel Boys(1block)	1,962.23
	UG Hostel Girls (1block)	1,800.09
	Nurse Hostel (1block)	1,506.83
	Amenity Block (1block)	1,327.87
6.	<b>Total Non FAR</b>	<b>3,341.64</b>
7.	<b>Total Proposed Built up Area(BUA) (5(b)+6)</b>	<b>30,195.57</b>
8.	Proposed Landscape Area	88,616.0
9.	<b>Total Built Up Area (5(a)+7)</b>	<b>47,736.50</b>

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 46333, दिनांक 02/12/2019 द्वारा आवासीय कॉम्प्लेक्स (स्टीफ क्वार्टर, हॉस्टल एवं एमिनिटी ब्लॉक) हेतु स्वीकृत अभिन्यास में संशोधन जारी किया गया है।
5. परियोजना हेतु सुविधाओं का उपयोग लगभग कुल 1,736 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण – निर्माण के दौरान उत्पन्न फयुजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा। डी.जी. सेट को एकोस्टिकली इन्क्लोजर में स्थापित किया जाएगा।
7. ठोस अपशिष्ट प्रबंधन – परियोजना में ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु तीन कलर बिन पद्धति अपनायी गई है। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 814 किलोग्राम प्रतिदिन होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को वेट एवं ड्राई के अनुसार संग्रहित किया जाता है। ठोस अपशिष्ट का अपवहन नगर निगम रायपुर के माध्यम से की जाती है। रिसाईक्लेबल अपशिष्ट को अधिकृत रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। वेट अपशिष्ट को खाद बनाने में उपयोग किया जाएगा, जिसके लिए कम्पोस्टिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा।
8. जल प्रबंधन व्यवस्था –
  - जल खपत एवं स्रोत – कन्स्ट्रक्शन फेस में परियोजना हेतु 100 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशनल फेस में परियोजना हेतु 228 घनमीटर प्रतिदिन (घरेलू उपयोग हेतु 104 घनमीटर प्रतिदिन, फलशिंग हेतु 44 घनमीटर प्रतिदिन, हॉर्टिकलचर हेतु 80 घनमीटर प्रतिदिन) जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। जल की आपूर्ति नगर निगम रायपुर के माध्यम से की जाती है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।
  - जल प्रदूषण नियंत्रण – परियोजना से उत्पन्न दूषित जल की मात्रा 138 घनमीटर प्रतिदिन होगी। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर (क्लोरीन) आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 400 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया

गया है। क्षमता विस्तार उपरांत दूषित जल के उपचार हेतु एमवीवीआर (सोडियम हाइपो क्लोराइड) आधारित अतिरिक्त सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 170 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, इम्पेलाइजेशन टैंक, सिक्वेशियल बैच रियेक्टर, फिल्टर प्रेस, डिसेंट टैंक, प्रेशर सेण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, क्लोरिन डोसेज, फाइनल होल्डिंग टैंक आदि स्थापित किया जाएगा। उपचारित दूषित जल की मात्रा 124 घनमीटर प्रतिदिन है। उपचारित दूषित जल को डिस्इन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाता है। क्षमता विस्तार उपरांत हॉर्टिकलचर 80 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग 44 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज का उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- भू-जल उपयोग प्रबंधन – उद्योग स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सभी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार-

(अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

(ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार उद्योग स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रस्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप उद्योग को औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल दोहन की अनुमति नहीं होगी। उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था – उद्योग परिसर में वर्षा के पानी का कुल रनऑफ 54,298 घनमीटर प्रतिवर्ष है। रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 10 नग रिचार्ज पिट निर्मित किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था पश्चात् परिसर के पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किया जा सकेगा। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें रिचार्ज स्ट्रक्चर की क्षमतानुसार वर्षा जल का बहाव हो सके।

9. विद्युत खपत – परियोजना हेतु 1,000 के.वी.ए. की आवश्यकता होगी। जिसकी आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से किया जाता है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.वी.ए. क्षमता का डी.जी. सेट स्थापित किया जाएगा।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि डी.जी. सेट को एकोरिटेकली इक्वोजर में स्थापित किया गया है, जिससे संलग्न विमानी की ऊंचाई ग्राउण्ड लेवल से 6 मीटर (सी.पी.सी.वी. द्वारा निर्धारित नॉर्म्स के आधार पर) रखा गया है। यही व्यवस्था क्षमता विस्तार उपरांत भी अपनाई जाएगी।



11. वृक्षारोपण संबंधी विवरण – वर्तमान में 31,579 वर्गमीटर क्षेत्रफल में पौधे रोपित हैं। क्षमता विस्तार उपरांत 53,839 वर्गमीटर क्षेत्रफल (कुल क्षेत्रफल का 36.66 प्रतिशत) में 8,070 नए पौधे रोपित किये जाएंगे। इसके अलावा 8,707.30 वर्गमीटर में लॉन एरिया विकसित किया जाना प्रस्तावित है।
12. ऊर्जा संरक्षण उपाय – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त की जाएगी। सोलर पैनल की स्थापना की जाएगी। आंतरिक स्थलों में प्रोयामेबल स्वीचिंग की व्यवस्था की जाएगी। कॉमन एरिया में सोलर एल.ई.डी. लाइटिंग सिस्टम लगाया जाएगा।
13. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Additional Capital Investment (Rs. in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in Crore)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Crore)	
			Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Crore)
106	1.5%	1.59	Following Activities at Nearby Govt. schools	
			Environment Awareness Program in Nearby Area, Schools	0.10
			Rain Water Harvesting Installation in School and Hospital	0.35
			Providing Potable Drinking water in School and Hospital	0.25
			Free Medical Camps for the poor, Ambulance Service near the site	0.15
			Provide Solar Street Light in the Nearby Area	0.45
			Avenue Plantation within 05 km of the Project Site	0.29
			<b>Total</b>	<b>1.59</b>

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि स्थल निरीक्षण के उपरांत सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम कोटा, तहसील व जिला रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 19/1 एवं 138/1, प्लॉट क्षेत्रफल - 1,46,845 वर्गमीटर में निर्मित आवासीय कॉम्प्लेक्स (बिल्टअप क्षेत्रफल - 17,540.11 वर्गमीटर) के विस्तार के तहत अतिरिक्त गवन निर्माण (30,195.57 वर्गमीटर) कर नये आवासीय कॉम्प्लेक्स, कुल बिल्टअप क्षेत्रफल - 47,736.5 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

17. मेसर्स एनएसपीआर-पीएलआर ज्वाइंट वेन्चर (दर्सीटोला आर्डिनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्वारी), ग्राम-दर्सीटोला, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1298)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 53059/2020, दिनांक 07/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-दर्सीटोला, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया स्थित खसरा क्रमांक 199/1, कुल क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 1,15,447.1 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 322वीं बैठक दिनांक 18/05/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/05/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री उत्तम कुमार मिश्रा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत महाराजपुर का दिनांक 04/11/2017 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. उत्खनन योजना – क्वारी प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला-सूरजपुर के ज्ञापन क्रमांक 235/खनिज/2018 सूरजपुर, दिनांक 07/02/2018 द्वारा अनुमोदित है।
3. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक 2398/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है।
4. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के क्रमांक 2399/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, रेल लाईन, नहर, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
5. लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है, जिसमें लीज मेसर्स एनएसपीआर-पीएलआर ज्वार्ट वेन्वर के नाम पर है, लीज डीड 02 वर्षों अर्थात् दिनांक 06/11/2019 से 05/11/2021 तक की अवधि हेतु है।
6. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 15/01/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय वन मण्डलाधिकारी (सा) मनेन्द्रगढ़ वनमण्डल, मनेन्द्रगढ़ के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./2017/1738 मनेन्द्रगढ़, दिनांक 23/09/2017 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम दर्सीटोला 0.8 कि.मी, स्कूल ग्राम-दर्सीटोला 1.1 कि.मी, अस्पताल ग्राम-नागपुर 2.9 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1.3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.8 कि.मी. दूर है। हरसदेव नदी 6.8 कि.मी. दूर है।
9. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,97,585 टन एवं माईनेबल रिजर्व 1,64,785 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,48,306 टन है।

लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 0.168 हेक्टेयर है। ओपन कार्ट सेमी मेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर (9 मीटर सतह से ऊपर एवं 6 मीटर सतह से नीचे) है। भू-भाग में पूर्व से उत्खनित क्षेत्र लगभग 5,300 वर्गमीटर है। वर्तमान में सामान्य सतह के ऊपर से 3 - 6 मीटर तक उत्खनन किया गया है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 3,580 घनमीटर है। बेंव की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की समावित आयु 2 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर स्थापित नहीं है एवं इसकी स्थापना का प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लारिंटिंग किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष	1,15,447
द्वितीय वर्ष	5,001

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों को राउण्डऑफ किया गया है।

11. **जल आपूर्ति** - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.67 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति टैंकर द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सहमति ली जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है।
12. **वृक्षारोपण कार्य** - लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 558 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 300 नग वृक्षारोपण किया गया है। शेष 258 नग वृक्षारोपण आगामी मानसून के पूर्व किया जाएगा। पहुँच मार्ग में 300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-**
  - i. पूर्व में पत्थर खदान खसरा क्रमांक 199/1, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर है, क्षमता - 1,43,305 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-कोरिया द्वारा दिनांक 01/03/2018 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 29/02/2020 तक की अवधि हेतु जारी की गई।
  - ii. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है।
  - iii. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
  - iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-कोरिया के ज्ञापन क्रमांक/2397/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है:-

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
06/11/2019 से 28/02/2020 तक	10,318

14. माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंव नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य

(ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

15. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से बर्बा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.48	2%	1.17	Following activities at Govt. Primary School Village-Darritola	
			Rain Water Harvesting System	0.82
			Potable Drinking Water	0.20
			Running Water Arrangement	0.10
			Plantation	0.10
		<b>Total</b>	<b>1.22</b>	

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला कोरिया के जापन क्रमांक 2398/खनिज/अस्थाई अनुज्ञा/2020 कोरिया बैकुण्ठपुर, दिनांक 27/04/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान, क्षेत्रफल 1.5 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम दर्सीटोला) का रकबा 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम दर्सीटोला) को मिलाकर कुल रकबा 2.5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
- समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम दर्सीटोला, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया के खसरा क्रमांक 199/1 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल - 1 हेक्टेयर, क्षमता - 1,15,447 टन प्रतिवर्ष जारी दिनांक से दिनांक 05/11/2021 तक की अवधि हेतु

परिशिष्ट-02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-3: एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ से आज दिनांक तक प्राप्त नवीन आवेदनों का परीक्षण कर प्रस्तुतीकरण हेतु निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स श्री जय कुमार सोनी (मोतीसागर सेण्ड माईन, नगर पालिक निगम कोरबा, ग्राम-मोतीसागर, तहसील व जिला-कोरबा), एस.एस. ग्रीन-51, तुलसी नगर, वार्ड नं. 02, तहसील व जिला-कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1270)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए सीजी / एमआईएन/ 150263/2020, दिनांक 22/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 12/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 22/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान नगर पालिक निगम कोरबा, ग्राम मोतीसागर, तहसील व जिला-कोरबा स्थित खरारा क्रमांक 1048 व अन्य 14, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हरादेव नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 86,400 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त चिन्हांकित/सीमांकित प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरट्रीम तथा डाउनरट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बाध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड़ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिसूचित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्व से संयोजित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स श्री देवेन्द्र देशमुख (एफ-2 कारली सेण्ड माईनिंग, ग्राम-बड़े कारली, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा), पिसेगांव भिलाई रोड, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1086)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134065/2019, दिनांक 29/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-बड़े कारली, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 1058, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हारम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-95,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का गिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर गिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेव मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेव मार्क (TBM) में आर.एल. को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। गिड मैप में टेम्पररी बेव मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
3. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
4. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई



- हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संयालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
  8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
  9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री देवेन्द्र देशमुख (एफ-1 कारली सेण्ड माईन, ग्राम-बड़े कारली, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा), पिसेगांव भिलाई रोड, जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1087)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 134085/2019, दिनांक 30/12/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 10/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 18/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीण खनिज) है। यह खदान ग्राम बड़े कारली, तहसील-गीदम, जिला-दन्तेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 1599, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन हारम नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-95,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी जाबक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी जाबक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत की जाए।



3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरट्रीम तथा डाउनरट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
5. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
6. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपरट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनरट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की गोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
8. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
9. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
10. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

11. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अधतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स रिंकी भारद्वाज (लामीसरार सेण्ड माईन, ग्राम-लामीसरार, तहसील-बागबाहरा, जिला-महारासमुंद), प्रगति नगर, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1303)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 153596/2020, दिनांक 18/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित रेत खदान (मीण खनिज) है। यह खदान ग्राम लामीसरार, तहसील-बागबाहरा, जिला-महारासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 48, कुल लीज क्षेत्र 3.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन कांदाझरी नाला से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-37,987.61 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति प्रस्तुत किये जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरस्ट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवलस (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवलस (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल. को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी वास्तविक जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल /एनीकट की दूरी खदान के अपरस्ट्रीम में

न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका भीकें पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।
7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के मालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्व से संवालिता है, तो घिगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स बलदेवपुर लाईम स्टोन क्वारी, ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1304)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152124/2020, दिनांक 18/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवालिता चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-बलदेवपुर, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 348/3,4,5,6, कुल क्षेत्रफल 0.809 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 15,345 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारसाविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स डूमरपारा डोलोमाईट क्वारी (प्रो.-श्री संजय केडिया), ग्राम-डूमरपारा, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर-चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1120)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 136134/2020, दिनांक 10/01/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/01/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संवर्धित चूना पत्थर (गीण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-डूमरपारा, तहसील-सक्ती, जिला-जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 2333/8, कुल क्षेत्रफल-4.35 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-61,057.26 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वारसाविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स श्री महेन्द्र शर्मा (जोरातराई लाईम स्टोन माईन), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1239)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147973/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 19/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संयालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 259/1 एच 260/1, कुल क्षेत्रफल - 1.15 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 20,021 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी जाबक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स मोहरेंगा लाईन स्टोन माईन (श्री योगेन्द्र वर्मा), ग्राम-मोहरेंगा एवं खौलीडबरी, तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 709)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 51289/2018, दिनांक 20/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर खदान (गौण खनिज) है। खदान तहसील-तिल्दा, जिला-रायपुर स्थित ग्राम-मोहरेंगा खसरा क्रमांक 786/1 एवं 489 एवं ग्राम-खौलीडबरी, खसरा क्रमांक 738, 739, कुल लीज क्षेत्र 4.527 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता - 27,500 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 04/12/2018 द्वारा उत्खनन का प्रकरण होने के कारण अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्व्हीयरमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्व्हीयरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैंडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 27/11/2019 द्वारा लोक सुनवाई से छूट देते हुए, टीओआर में संशोधन जारी किया गया।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 20/05/2020 को प्रस्तुत किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. जारी टीओआर में अतिरिक्त टीओआर के बिन्दुओं का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स श्री अटल कुमार गोदवानी (जोरातराई लाईम स्टोन क्वारी), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1237)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147901/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 269/1 2 3 4, 263/1 2 3, 264/1, 265/1 2, 266/1 2 एवं 270/2, कुल क्षेत्रफल – 2.242 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-15.000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफस सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

10. मेसर्स एस.एस.डी. इंटरप्राइजेस (प्रो.- श्री सुनील कुमार गोदवानी), ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1238)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 147946/2020, दिनांक 07/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-जोरातराई, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 320/7, कुल क्षेत्रफल-1.214 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-10.000 टन प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-



1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**11. मेसर्स श्री प्रशांत कांकरिया (कलकसा लाईम स्टोन माईन), ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1260)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रोजेक्ट नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 148978/2020, दिनांक 14/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 23/03/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 20/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण -** यह पूर्व से संवर्धित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-कलकसा, तहसील-खैरागढ़, जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 102/2.6 एवं 108/2.4, कुल क्षेत्रफल-0.607 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता-12712.5 टन प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण -**

**(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:**

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र की पठनीय (बैठक दिनांक सहित) प्रति प्रस्तुत किये जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित समस्त खदानों (जिसमें वर्ष 2013 के पूर्व की भी खदानों का उल्लेख हो) संबंधी जानकारी जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्रस्तुत किया जाए।
3. पूर्व में आवेदित स्थल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।



विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदनुसार सूचित किया जाए।

**12. मेसर्स अविनाश डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड (मारुति लाईफ स्टाईल टावर्स), ग्राम-कोटा, तहसील व जिला-रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1305)**

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईएस / 153845/2020, दिनांक 21/05/2020।

प्रस्ताव का विवरण - परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम-कोटा, तहसील व जिला-रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 158/1, 158/3, 158/2, 159 (162/1), 160/1, 162/2, 163/2, (168/2-3, 169/2-3, 163/3), 172/4, (173/4), एवं 174/4 (175/4), प्लॉट एरिया-1.07 हेक्टेयर में प्रस्तावित बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन प्रोजेक्ट कुल बिल्टअप क्षेत्रफल-25,727.57 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था, फ्यूजिटेव डस्ट उत्सर्जन नियंत्रण हेतु प्रस्तावित व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
5. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
6. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
7. प्रस्तावित ले-आउट में वृक्षारोपण को दर्शाते हुये वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाये। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दरतावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स श्रीमती कौशिल्या देवी चक्रधारी (ईरा सोईल/ऑडिनरी क्ले माईन) ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1277)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 150660/2020. दिनांक 30/03/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियों होने से ज्ञापन दिनांक 08/05/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 23/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण - यह प्रस्तावित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खरारा क्रमांक 549/1, 550(पार्ट), 551(पार्ट), 553, 554/1,2 555/2,3,4 557, 558/2, 559(पार्ट), 560(पार्ट), 561(पार्ट), 577(पार्ट), 578(पार्ट), 581/1(पार्ट), एवं 578/2(पार्ट), कुल क्षेत्रफल 4.411 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) क्षमता 4500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठक का विवरण -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. पूर्व में आवेदित स्थल को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दरतावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. श्री जितेन्द्र सिंह चौहान (छिंदगढ़ सेण्ड माईन, ग्राम-छिंदगढ़, तहसील व जिला-सुकमा), चौहान कॉम्पेक्स, बस स्टैण्ड छिंदगढ़, तहसील-छिंदगढ़, जिला-सुकमा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1160)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एराआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 140820/2020. दिनांक 04/02/2020। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन

आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 07/02/2020 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 28/05/2020 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

**प्रस्ताव का विवरण** – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-छिंदगढ़, तहसील व जिला-सुकमा स्थित खसारा क्रमांक 230, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन फूल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता 95,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

**बैठक का विवरण** –

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी चिन्हांकित/सीमांकित संबंधी प्रमाण पत्र में तहसील-छिंदगढ़, जिला-सुकमा, फार्म-2 में तहसील-कोटा, जिला-सुकमा एवं माईनिंग प्लान में तहसील व जिला-सुकमा का उल्लेख किया गया है। अतः इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुये जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल एवं प्रस्तावित स्थल के अपरट्रीम तथा डाउनस्ट्रीम में 100 मीटर की दूरी तक, 25 मीटर गुणा 25 मीटर का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। इसके अतिरिक्त खनन लीज के बाहर / नदी तट (दोनों ओर) से 100 मीटर तक के क्षेत्र में नदी सतह के स्तरों (Levels) का भी सर्वे किया जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्पररी बेच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्पररी बेच मार्क (TBM) में आर.एल., को ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्पररी बेच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफस सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
4. नदीतट से खदान की सीमा की दूरी न्यूनतम 10 मीटर या नदी के पाट की चौड़ाई का 10 प्रतिशत (जो भी अधिक हो) रखी जानी है। यदि इसके अनुसार खदान के कुछ क्षेत्र में उत्खनन किया जाना संभव न हो तो उसकी गणना कर, नक्शे पर दर्शाकर, इसका उल्लेख माईनिंग प्लान में अनिवार्य रूप से कराया जाये। खदान के खनन क्षेत्र एवं प्रतिबंधित क्षेत्र को मौके पर खनिज विभाग से सीमांकन कराकर, प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाए।
5. प्रस्तावित स्थल से निकटतम पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्रोत की दूरी बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए। पुल / एनीकट की दूरी खदान के अपरट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तथा डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर रखा जाना आवश्यक है। यदि लीज क्षेत्र उपरोक्तानुसार दूरी के अंदर स्थित हो, तो उपरोक्त आधार पर खनन हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र को आवश्यकतानुसार नक्शे पर चिह्नित कर, उसका मौके पर सीमांकन तथा माईनिंग प्लान में इस बाबत उल्लेख किया जाए।
6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वार्षिक

गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।  
रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

7. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
8. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवलस (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

15. मेसर्स व्ही.एम. टेक्नोसॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड (कॉमन बायो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी), ग्राम-पूँजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1313)

ऑनलाईन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएस/ 53362/2020, दिनांक 26/05/2020।

**प्रस्ताव का विवरण** - यह नवीन बाँयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना है। यह परियोजना ग्राम-पूँजीपथरा, तहसील-तमनार, जिला-रायगढ़ स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 116/1, कुल एरिया- 0.4062 हेक्टेयर (1 एकड़) में प्रस्तावित है। नवीन बाँयो मेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फेसिलिटी (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) परियोजना इंडक्शन प्लास्मा पायरोलाईसिस 100 किलोग्राम/घण्टा, ऑटोकलेव क्षमता - 100 किलोग्राम/बैच एवं शेडर क्षमता - 100 किलोग्राम/घण्टा के पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया है। प्रस्तावित परियोजना का विनियोग रूपए 2.75 करोड़ होगा।

**बैठक का विवरण** -

(अ) समिति की 328वीं बैठक दिनांक 03/06/2020:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. परियोजना हेतु निर्धारित किए गए प्रोसेस की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. अन्य वैकल्पिक स्थलों के चयन के साथ ट्रीटमेंट फेसिलिटी की स्थापना हेतु प्रस्तावित स्थल को पर्यावरणीय संरक्षण की दृष्टि से चयनित किए जाने की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भूमि स्वामित्व संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
4. ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. दूषित जल हेतु प्रस्तावित उपचार व्यवस्था का पूर्ण विवरण, उपचारित दूषित जल के उपयोग / पुनःउपयोग की व्यवस्था का पूर्ण विवरण प्रस्तुत की जाए।
6. वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था, फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन व्यवस्था एवं परिवहन व्यवस्था का विवरण प्रस्तुत की जाए।
7. जैव-चिकित्सा अपशिष्टों का अपवहन जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार किए जाने हेतु प्रस्तावित व्यवस्थाओं के विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
8. ठोस अपशिष्टों के निपटान हेतु प्रस्तावित व्यवस्था की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
9. प्रस्तावित ऊर्जा संरक्षण के उपायों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
10. ले-आउट में प्रस्तावित वृक्षारोपण को दर्शाते हुए वृक्षारोपण की संख्या तथा क्षेत्रफल का विवरण प्रस्तुत की जाए। वृक्षारोपण हेतु कार्ययोजना प्रस्तुत की जाए।
11. सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।
12. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(भोसकर विकास संदिपान)  
सदस्य सचिव  
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति  
छत्तीसगढ़

(धीरेन्द्र शर्मा)  
अध्यक्ष  
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति  
छत्तीसगढ़

**ENVIRONMENTAL CLEARANCE CONDITIONS FOR EXPANSION OF BUILDING CONSTRUCTION PROJECT BY M/S ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, RAIPUR (THROUGH EXECUTIVE ENGINEER) AT KHASRA NUMBER 19/1 AND 138/1, VILLAGE-KOTA, TEHSIL & DISTRICT-RAIPUR IN PLOT AREA - 1,46,845 M<sup>2</sup> (39.79 ACRE) FOR THE PROPOSED BUILTUP AREA - 17,540.11 M<sup>2</sup> TO 47,736.5 M<sup>2</sup>**

**I. Statutory Compliance:**

- i. The project proponent shall obtain all necessary clearance / permission from all relevant agencies including Town & Country planning authority before commencement of expansion work. All the construction shall be done in accordance with the local building byelaws.
- ii. The approval of the Competent Authority shall be obtained for structural safety of Buildings due to earthquakes, adequacy of fire fighting equipment etc as per National Building Code including protection measures from lightning etc.
- iii. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/ Committee.
- iv. The project proponent shall obtain the necessary permission for drawl of ground water / surface water required for the project from the competent authority.
- v. A certificate of adequacy of available power from the agency supplying power to the project along with the load allowed for the project should be obtained.
- vi. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controller of Explosives, Fire Department, Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable, by project proponents from the respective competent authorities.
- vii. The provisions of the Solid Waste (Management) Rules, 2016, e-Waste (Management) Rules, 2016, the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, The Biomedical waste (Management and Handling) Rules, 2016 (As amended) and the Plastic Waste (Management) Rules, 2016 shall be followed.
- viii. The project proponent shall follow the ECBC/ECBC-R prescribed by Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power strictly. Use of chillers shall be CFC & HCFC free.

**II. Air Quality Monitoring And Preservation**

- i. Notification GSR 94(E) dated 25/01/2018 of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi regarding Mandatory Implementation of Dust Mitigation Measures for Construction and Demolition Activities for projects requiring Environmental Clearance shall be complied with.
- ii. A management plan shall be drawn up and implemented to contain the current exceedance in ambient air quality at the site.
- iii. The project proponent shall install system to carryout Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM<sub>10</sub> and PM<sub>2.5</sub>) covering upwind and downwind directions during the construction period.

- iv. Diesel power generating sets proposed as source of backup power should be of enclosed type and conform to rules made under the Environment (Protection) Act, 1986. The height of stack of DG sets should be equal to the height needed for the combined capacity of all proposed DG sets. Use of low sulphur diesel. The location of the DG sets may be decided with in consultation with State Pollution Control Board. The diesel generator sets to be used during construction phase shall be low sulphur diesel type and shall conform to Environmental (Protection) prescribed for air and noise emission standards.
- v. The gaseous emissions from DG set shall be dispersed through adequate stack height as per CPCB standards. Acoustic enclosure shall be provided to the DG sets to mitigate the noise pollution. Low sulphur diesel shall be used. The location of the DG set and exhaust pipe height shall be as per the provisions of the Central Pollution Control Board (CPCB) norms.
- vi. Construction site shall be adequately barricaded before the construction begins. Dust, smoke & other air pollution prevention measures shall be provided for the building as well as the site. These measures shall include screens for the building under construction, continuous dust/ wind breaking walls all around the site (at least 3 meter height). Plastic/tarpaulin sheet covers shall be provided for vehicles bringing in sand, cement, murrum and other construction materials prone to causing dust pollution at the site as well as taking out debris from the site.
- vii. Sand, murrum, loose soil, cement, stored on site shall be covered adequately so as to prevent dust pollution. Wet jet shall be provided for grinding and stone cutting.
- viii. Unpaved surfaces and loose soil shall be adequately sprinkled with water to suppress dust.
- ix. All construction and demolition debris shall be stored at the site (and not dumped on the roads or open spaces outside) before they are properly disposed. All demolition and construction waste shall be managed as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016.
- x. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India.

### III. Water Quality Monitoring And Preservation

- i. The natural drain system should be maintained for ensuring unrestricted flow of water. No construction shall be allowed to obstruct the natural drainage through the site, on wetland and water bodies. Check dams, bio-swales, landscape, and other sustainable urban drainage systems (SUDS) are allowed for maintaining the drainage pattern and to harvest rain water.
  - ii. Buildings shall be designed to follow the natural topography as much as possible. Minimum cutting and filling should be done.
  - iii. Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement as provided in the project details.
  - iv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- A certificate shall be obtained from the local body supplying water, specifying the total annual water availability with the local authority, the quantity of water already committed, the quantity of water allotted to the project under consideration and the balance water available. This should be specified



separately for ground water and surface water sources, ensuring that there is no impact on other users.

- vi. At least 20% of the open spaces as required by the local building bye-laws shall be pervious. Use of Grass pavers, paver blocks with at least 50% opening, landscape etc. would be considered as pervious surface.
- vii. Installation of dual pipe plumbing for supplying fresh water for drinking, cooking and bathing etc and other for supply of recycled water for flushing, landscape irrigation, car washing, thermal cooling, conditioning etc. shall be done.
- viii. Use of water saving devices/ fixtures (viz. low flow flushing systems; use of low flow faucets tap aerators etc) for water conservation shall be incorporated in the building plan
- ix. Separation of grey and black water should be done by the use of dual plumbing system. In case of single stack system separate recirculation lines for flushing by giving dual plumbing system be done.
- x. Water demand during construction should be reduced by use of pre-mixed concrete, curing agents and other best practices referred.
- xi. The local bye-law provisions on rain water harvesting should be followed. If local bye-law provision is not available, adequate provision for storage and recharge should be followed as per the Ministry of Urban Development Model Building Byelaws, 2016. Rain water harvesting recharge pits/storage tanks shall be provided for ground water recharging as per the CGWB norms.
- xii. Water shall be sourced from Raipur Municipal Corporation as per the proposal submitted. No ground water shall be withdrawn without approval from the Competent Authority. Project proponent shall develop rainwater-harvesting structures for 100% harvesting of rainwater in the premises for recharging the ground water table. Rainwater from open spaces shall be collected and reuse for landscaping and other purposes. Rooftop rainwater harvesting shall be adopted for the buildings & residential blocks to be constructed by individual building. Every building shall have rainwater-harvesting facilities. The storm water flowing in roadside drains shall also be recycled and reused to maintain the vegetation and discharged into natural water bodies. Before recharging the surface runoff, pre treatment must be done to remove suspended matter and oil & grease. Rainwater harvesting pits shall be constructed as per proposal.
- xiii. All recharge should be limited to shallow aquifer.
- xiv. Any ground water dewatering should be properly managed and shall conform to the approvals and the guidelines of the CGWA in the matter. Formal approval shall be taken from the CGWA for any ground water abstraction or dewatering.
- xv. The quantity of fresh water usage, water recycling and rainwater harvesting shall be measured and recorded to monitor the water balance as projected by the project proponent. The record shall be submitted to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur along with six monthly Monitoring reports.
- xvi. Sewage shall be treated in the STP with tertiary treatment. The treated effluent from STP shall be recycled/re-used for flushing, AC make up water and gardening. Zero discharge condition shall be maintained. Project proponent shall install separate electric metering arrangement with time totalizer for the running of pollution control systems. The record (logbook) of power & chemical consumption for running the pollution control systems shall be maintained.
- xvii. No sewage or untreated effluent water would be discharged through storm water drains.

- xviii. Onsite sewage treatment of capacity of treating 100% waste water to be installed. The installation of the Sewage Treatment Plant (STP) shall be certified by an independent expert and a report in this regard shall be submitted to the Ministry before the project is commissioned for operation with expanded capacity. Treated waste water shall be reused on site for landscape, flushing, cooling tower, and other end-uses.
- xix. Periodical monitoring of water quality of treated sewage shall be conducted. Necessary measures should be made to mitigate the odour problem from STP.
- xx. Sludge from the onsite sewage treatment, including septic tanks, shall be collected, conveyed and disposed as per the Ministry of Urban Development, Central Public Health and Environmental Engineering Organization (CPHEEO) Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013. The sludge generated from Sewage Treatment Plant (after drying) shall be used as manure for gardening purpose.

#### **IV. Noise Monitoring And Prevention**

- i. Ambient noise levels shall conform to residential area/commercial area/industrial area/silence zone both during day and night as per Noise Pollution (Control and Regulation) Rules, 2000. Incremental pollution loads on the ambient air and noise quality shall be closely monitored during construction phase. Adequate measures shall be made to reduce ambient air and noise level during construction phase, so as to conform to the stipulated standards by CPCB / SPCB.
- ii. Noise level survey shall be carried as per the prescribed guidelines and report in this regard shall be submitted to Regional Officer, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as a part of six-monthly compliance report.
- iii. Acoustic enclosures for DG sets, noise barriers for ground-run bays, ear plugs for operating personnel shall be implemented as mitigation measures for noise impact due to ground sources.

#### **V. Energy Conservation Measures**

- i. Compliance with the Energy Conservation Building Code (ECBC) of Bureau of Energy Efficiency shall be ensured. Buildings in the States which have notified their own ECBC, shall comply with the State ECBC.
- ii. LED lights shall be used in project premises.
- iii. Concept of passive solar design that minimize energy consumption in buildings by using design elements, such as building orientation, landscaping, efficient building envelope, appropriate fenestration, increased day lighting design and thermal mass etc. shall be incorporated in the building design. Wall, window, and roof u-values shall be as per ECBC specifications.
- iv. Energy conservation measures like installation of LED for the lighting the area outside the building should be integral part of the project design and should be in place before project commissioning.
- v. Solar, wind or other Renewable Energy shall be installed to meet electricity generation equivalent to 1% of the demand load or as per the state level / local building bye-laws requirement, whichever is higher.
- vi. Solar power shall be used for lighting in the apartment to reduce the power load on grid. Separate electric meter shall be installed for solar power. Solar water heating shall be provided to meet 20% of the hot water demand of the commercial and institutional building or as per the requirement of the local

building bye-laws, whichever is higher. Residential buildings are also recommended to meet its hot water demand from solar water heaters, as far as possible.

## VI. Waste Management

- i. A certificate from the competent authority handling municipal solid wastes, indicating the existing civic capacities of handling and their adequacy to cater to the M.S.W. generated from project shall be obtained.
- ii. Disposal of muck during construction phase shall not create any adverse effect on the neighboring communities and be disposed taking the necessary precautions for general safety and health aspects of people, only in approved sites with the approval of competent authority.
- iii. Separate wet and dry bins must be provided in each unit and at the ground level for facilitating segregation of waste. Solid waste shall be segregated into wet garbage and inert materials.
- iv. Organic waste compost/ Vermiculture pit/ Organic Waste Converter within the premises with a minimum capacity of 0.3 kg /person/day must be installed.
- v. All non-biodegradable waste shall be handed over to authorized recyclers for which a written tie up must be done with the authorized recyclers.
- vi. Any hazardous waste generated during construction phase, shall be disposed off as per applicable rules and norms with necessary approvals of the State Pollution Control Board.
- vii. Use of fly ash based bricks / blocks / tiles / products shall be ensured. Blended cement with fly ash shall be used. The provisions of notification issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India regarding use of fly ash must be complied with. Appropriate usage of other industrial wastes shall also be explored. Soil borrow area should be filled up with ash with proper compaction and covered with topsoil kept separately. Fly ash / pond ash shall be used for low-lying areas filling. In embankments / road construction etc. ash shall be utilized as per guidelines of Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India / Central Pollution Control Board / Indian Road Congress etc. concerning authorities. The use of perforated brick / hollow blocks / fly ash based, lightweight aerated concrete etc. shall also be ensured so as to reduce load on natural resources.
- viii. Fly ash should be used as building material in the construction as per the provision of Fly Ash Notification of September, 1999 and amended as on 27<sup>th</sup> August, 2003 and 25<sup>th</sup> January, 2016. Ready mixed concrete must be used in building construction.
- ix. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
- x. Used LEDs and TFLs should be properly collected and disposed off / sent for recycling as per the prevailing guidelines / rules of the regulatory authority to avoid mercury contamination.

## VII. Green Cover

- i. No tree can be felled/transplant unless exigencies demand. Where absolutely necessary, tree felling shall be with prior permission from the concerned regulatory authority. Old trees should be retained based on girth and age regulations as may be prescribed by the Forest Department. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted).

- ii. Green belt shall be developed in an area equal to 42.5% of the net planning area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the constructed. As far as possible maximum area of open spaces shall be utilized for plantation purposes. A minimum of 1 tree for every 80 sqm of land should be planted and maintained. The existing trees will be counted for this purpose. The landscape planning should include plantation of native species. The species with heavy foliage, broad leaves and wide canopy cover are desirable. Water intensive and/or invasive species should not be used for landscaping.
- iii. Where the trees need to be cut with prior permission from the concerned local Authority, compensatory plantation in the ratio of 1:10 (i.e. planting of 10 trees for every 1 tree that is cut) shall be done and maintained. Plantations to be ensured species (cut) to species (planted). Area for green belt development shall be provided as per the details provided in the project document.
- iv. Topsoil should be stripped up to a certain depth from the areas proposed for buildings, roads, paved areas, and external services. It should be stockpiled appropriately in designated areas and reapplied during plantation of the proposed vegetation on site.

## VIII. Transport

- i. A comprehensive mobility plan, as per MoUD best practices guidelines (URDPFI), shall be prepared to include motorized, non-motorized, public, and private networks. Road should be designed with due consideration for environment, and safety of users. The road system can be designed with these basic criteria.
  - a. Hierarchy of roads with proper segregation of vehicular and pedestrian traffic.
  - b. Traffic calming measures.
  - c. Proper design of entry and exit points.
  - d. Parking norms as per local regulation.
- ii. Vehicles hired for bringing construction material to the site should be in good condition and should have a pollution check certificate and should conform to applicable air and noise emission standards be operated only during non-peak hours.
- iii. A detailed traffic management and traffic decongestion plan shall be drawn up to ensure that the current level of service of the roads within a 05 kms radius of the project is maintained and improved upon after the implementation of the project. This plan should be based on cumulative impact of all development and increased habitation being carried out or proposed to be carried out by the project or other agencies in this 05 Kms radius of the site in different scenarios of space and time and the traffic management plan shall be duly validated and certified by the State Urban Development department and the P.W.D./ competent authority for road augmentation and shall also have their consent to the implementation of components of the plan which involve the participation of these departments.
- iv. The project proponent shall use covered leak proof trucks / dumpers vehicles for transportation of construction materials and C&D wastes.

## IX. Human Health Issues

- i. All workers working at the construction site and involved in loading, unloading, carriage of construction material and construction debris or working in any area with dust pollution shall be provided with dust mask.

- ii. For indoor air quality the ventilation provisions as per National Building Code of India. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- iii. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis.
- iv. A First Aid Room shall be provided in the project both during construction and operations of the project.

#### X. Corporate Environment Responsibility

- i. The project proponent shall comply with the provisions of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi OM vide F No 22-65/2017-IA.III dated 1<sup>st</sup> May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility. Project proponent shall made CER fund as follows:-

Additional Capital Investment (Rs. in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in Crore)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Crore)	
			Particulars	CER Fund Allocation (Rs. in Crore)
106	1.5%	1.59	Following Activities at Nearby Govt. schools	
			Environment Awareness Program in Nearby Area, Schools	0.10
			Rain Water Harvesting Installation in School and Hospital	0.35
			Providing Potable Drinking water in School and Hospital	0.25
			Free Medical Camps for the poor, Ambulance Service near the site	0.15
			Provide Solar Street Light in the Nearby Area	0.45
			Avenue Plantation within 05 km of the Project Site	0.29
			<b>Total</b>	<b>1.59</b>

- ii. The Project proponent shall complete the Corporate Environmental Responsibility activity within 06 Months.

- iii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approved by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh as a part of six-monthly report.
- iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of Senior Executive, who will directly report to the head of the organization.
- v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur / SEIAA, Chhattisgarh along with the Six Monthly Compliance Report.
- vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.
- vii. All the recommendations made in the Charter on Corporate Responsibility for Environment Protection (CREP) for the plants (if any) shall be implemented.

#### **XI. Miscellaneous**

- i. Local persons shall be given employment during development and operation of the site.
- ii. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- iii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of Local Bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iv. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environmental clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- v. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely: PM<sub>10</sub>, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub> (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters (if any), indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- vi. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- vii. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to Chhattisgarh Environment Conservation Board.

(CECB) as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company. The project proponent shall inform the Regional Office, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur as well as SEIAA, Chhattisgarh the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.

- viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the Chhattisgarh Environment Conservation Board (CECB) and the State Government.
- ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA / EMP report and also that during their presentation to the State Expert Appraisal Committee.
- x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi / SEIAA, Chhattisgarh.
- xi. Concealing factual data or submission of false / fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xii. SEIAA, Chhattisgarh may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiii. SEIAA, Chhattisgarh reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xiv. The Regional Office Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Nagpur shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information / monitoring reports.
- xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.
- xvii. Environment clearance will be valid as per the provision of EIA Notification, 2006 (as Amended).

  
Member Secretary, SEAC

Chairman, SEAC



मेसर्स एनएसपीआर-पीएलआर ज्वाइंट वेन्चर  
(दर्रीटोला आर्डिनरी स्टोन टेम्पररी परमिट क्वारी)

को खसरा क्रमांक 199/1, कुल लीज क्षेत्र 1 हेक्टेयर, ग्राम-दर्रीटोला, तहसील-मनेन्द्रगढ़, जिला-कोरिया में साधारण पत्थर (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता-1,15,447 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 05/11/2021 तक की अवधि हेतु वैध होगी।
2. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खानेज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 1,15,447 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं धरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था किया जाए।
4. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारीत नहीं किया जाए, अपितु इस प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। धरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निरसारीत नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
5. खनि पट्टा धारक खान संवालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह वारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
6. भू जल के उपयोग हेतु केंद्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
7. किसी विमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हों) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन



विन्दुआ डस्ट कंटेनमेंट कम सप्लेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।

8. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
9. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए।
10. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाइज) करने में किया जाए। जहां पर ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉईल) को खनन प्रक्रिया के साथ साथ (कॉन्क्रेटली) उपयोग किया जाना संभव न हो, तब इसे पृथक से भण्डारित कर भविष्य में उपयोग हेतु रखा जाए।
11. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से विन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जायेगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जाएं ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डंप की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डंप का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
12. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/बिक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्डों में पुनःभरण (बैंक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सकें।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु गार्डन पीट तथा डंप क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
14. खनिज का परिवहन मेकनेकली कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
15. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
58.48	2%	1.17	Following activities	at Govt.

			Primary School Village-Darritola
			Rain Water Harvesting System
		0.82	
			Potable Drinking Water
		0.20	
			Running Water Arrangement
		0.10	
			Plantation
		0.10	
			<b>Total</b>
		1.22	

16. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 03 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए।
17. उत्खनन हेतु निर्गिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन अन्य आदि में स्थानीय प्रजाति के 558 वृक्षों का राधन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। पहुँच मार्ग में 300 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
18. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2020 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाए एवं समय-समय पर चिकित्साकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
20. सक्षम प्राधिकारी / डी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लारिंग किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाइ रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। वेट ड्रिलिंग अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
21. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
22. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
23. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। गार्डन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
24. कार्य स्थल पर यदि कंभिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था

अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।

25. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकेंद्राकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
26. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
27. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
28. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
29. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
30. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट [www.seiaacg.org](http://www.seiaacg.org) पर भी किया जा सकता है।
31. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
32. क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर को प्रेषित किया जाए।
33. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नागपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए।
34. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा

नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।

35. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
36. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिनों की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
37. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

~~सदस्य विव, एस.ई.ए.सी.~~

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.